न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :- एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 74/2007(उदयपुर आर्डर)

श्यामलाल पिता लक्ष्मण जी जणवा, निवासी चायलाखेड़ा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

.... अपीलान्ट

बनाम

1. रामा पिता गोकल जी जणवा, निवासी चायलाखेड़ा (मृतक) के बजाय :-

1/1. हीरा पिता रामा जी जणवा, निवासी चायलाखेड़ा (मृतक) के बजाय :-

1/1/1. मांगीलाल पिता हीरा जी जणवा, निवासी चायलाखेड़ा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

1/1/2. मु. भूरी बेवा हीरा जी जणवा, निवासी चायलाखेड़ा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

1/1/3. श्रीमती कस्तूरी (पिता हीरा जी) पत्नी सुरेश जी जणवा, निवासी अमरपुरा, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

1/1/4. श्रीमती कला बाई (पिता हीरा जी) पत्नी रामेश्वर जी जणवा, निवासी अरनेड, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

1/1/5. श्रीमती सीता बाई पिता हीरा जी) पत्नी पन्नालाल जी जणवा, निवासी अमरपुरा, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

1/1/6. श्रीमती गीता बाई (पिता हीरा जी) पत्नी दुर्गाशंकर जी जणवा, निवासी नवानिया, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

1/1/7. श्रीमती कविता बाई (पिता हीरा जी) पत्नी उंकारलाल जी जणवा, निवासी ईटाली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

1/2. शंकर पिता रामा जी जणवा, निवासी चायलाखेड़ा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

1/3. श्रीमती धूली (पिता रामा जी) पत्नी गणेश जी जणवा, निवासी भटेवर, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

1/4. श्रीमती भगवानी (पिता रामा जी) पत्नी शंकरलाल जी जणवा, निवासी भटेवर, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

2. चतुरभुज पिता नन्दाजी जणवा, निवासी चायलाखेड़ा (मृतक) के बजाय :-

2/1. मु. केसर बाई बेवा चतुरभुज जी जणवा, निवासी चायलाखेड़ा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

2/2. श्रीमती कवरी बाई (पिता चतुरभुज जी) पत्नी गोतम जी जणवा, निवासी चायलाखेड़ा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

3. प्यारा पिता नन्दा जी जणवा, निवासी चायलाखेड़ा (मृतक) के बजाय :–

3/1. श्रीमती वरिदा (पिता प्यारा जी) पत्नी छोगालाल जी जणवा, निवासी नवानिया, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

3/2. श्रीमती चांदी (पिता प्यारा जी) पत्नी मोतीलाल जी जणवा, निवासी नवानिया, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

4. लक्ष्मण पिता नन्दा जी जणवा, निवासी चायलाखेड़ा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

5. भग्गा पिता नन्दा जी जणवा, निवासी चायलाखेड़ा (मृतक) के बजाय :–

5/1. श्रीमती कसनी बाई बेवा भग्गा जी जणवा, निवासी चायलाखेड़ा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

5/2. भेरूलाल पिता भग्गा जी जणवा, निवासी चायलाखेड़ा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

5/3. राजेन्द्र पिता भग्गा जी जणवा, निवासी चायलाखेड़ा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

6. भरत पिता पेमा जी जणवा, निवासी चायलाखेड़ा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

7. राधेश्याम पिता पेमा जी जणवा, निवासी चायलाखेड़ा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

8. मु॰ सुन्दर बेवा पेमा जी जणवा, निवासी चायलाखेड़ा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

9. श्रीमती नोजी बेवा कालू जी जणवा, निवासी चायलाखेड़ा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

10. मु॰ बदामी बेवा रतनलाल जी जणवा, निवासी चायलाखेड़ा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

11. रतनलाल पिता भजाजी जणवा, निवासी चायलाखेड़ा (मृतक) के बजाय :–

11/1. प्रकाश पिता रतनलाल जी जणवा, निवासी चायलाखेड़ा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

11/2. पुरण पिता रतनलाल जी जणवा, निवासी चायलाखेड़ा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

11/3.राजमल पिता रतनलाल जी जणवा, निवासी चायलाखेड़ा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

11/4. कमलेश पिता रतनलाल जी जणवा, निवासी चायलाखेड़ा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

12. गोपीलाल पिता लक्ष्मण जी जणवा, निवासी चायलाखेड़ा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

13. लच्छीराम पिता माणा जी जणवा, निवासी चायलाखेड़ा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

14. उंकार पिता डालू जी जणवा, निवासी चायलाखेड़ा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम – 1955 विरूद्ध
निर्णय उपखण्ड अधिकारी वल्लभनगर
दिनांक 20–08–2007 प्र०सं० 37/2005

---/---

उपस्थित (वक्त बहस) 1. श्री खेमराज डांगी अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री पन्नालाल मारू अभि.रेस्पो. 5/2, 9, 10, 11, 15

---::---

निर्णय **दिनांक 12–02–2018**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट/प्रार्थी द्वारा रेस्पोन्डेन्ट/विपक्षीगण के विरूद्ध एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम चायलाखेड़ा में प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 2 की आराजियात स्थित है तथा ग्राम खडोदा में प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 3 की भूमियां स्थित हैं। पक्षकारान का सजरा कलम संख्या 4 अनुसार है। कन्हैयालाल पिता भैरा व कन्ना पिता भेरा एक ही व्यक्ति हैं, जिसकी मृत्यु दिनांक 28–11–2003 को हो चुकी है, जिसके कोई लड़का, लड़की या पत्नी नहीं है। कना पिता भेरा ने उक्त चल अचल सम्पत्ति की वसीयत प्रार्थी के पक्ष में कर दिनांक 21–10–2003 को वसीयतनामा स्टाम्प पर निष्पादित कर दिया।

तब से प्रार्थी उक्त समस्त भूमियों का खातेदार व आधिपत्यधारी होकर उपयोग–उपभोग करता चला आ रहा है। विपक्षीगण का उक्त भूमियों में कोई हक व अधिकार नहीं है। प्रार्थी ने वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण खुलवाने हेतु राजस्व कर्मचारियों से अनुरोध किया, किन्तु अभी तक उनके नाम नामान्तरकरण स्वीकृत नहीं हुआ है। प्रार्थी ने अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन पेश किया जो दिनांक 28–01–2004 को दोनों पक्षों की सहमति से यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये गये, जो आज भी कायम है। प्रार्थी ने विपक्षीगण के विरूद्ध फौजदारी प्रकरण दर्ज कराया, जिसमें विपक्षीगण को धारा 447 भा.द.सं. के अपराध से बरी किया गया है, जिससे विपक्षीगण प्रार्थी को जबरन बेदखल करने की धमकी दे रहे हैं, जिससे प्रार्थी की आराजियात की सुरक्षा हेतु रिसीवर नियुक्त कराया जाना आवश्यक हो गया है। निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि पर रिसीवर नियुक्त किया जावे।

उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर विपक्षी संख्या 9, 10, 15 एवं 16 द्वारा आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जा.दी. का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रकरण संख्या 66/2003 में दिनांक 28–01–2004 को मूलवाद के निर्णय तक दोनों पक्षों की सहमति से रेकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये गये हैं। उक्त प्रकरण संख्या 66/2003 में वर्णित तथ्य एवं बिनाय प्रार्थना पत्र एक समान है, जिससे यह द्वितीय प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है। इस प्रार्थना पत्र में न तो कॉज ऑफ एक्शन बताया है न ही ऐसा कोई कॉज ऑफ एक्शन पैदा होना प्रकट होता है, जिससे यह प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है।

प्रकरण में प्रार्थी द्वारा धारा 151 जा.दी. का आवेदन प्रस्तुत कर पुनः रिवीसर नियुक्त किये जाने का निवेदन किया, जिसका जवाब विपक्षीगण द्वारा दिया गया।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 08–08–2007 को आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जा.दी. के आवेदन पर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी तथा दिनांक 20–08–2007 को निम्नानुसार निर्णय पारित किया :–

"यहां यह निर्विवाद तथ्य है कि पूर्व में दोनों पक्षों की सहमति से प्रकरण संख्या 66/2003 धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में दिनांक 28–01–2004 को विवादित आराजियात की रेकार्ड एवं मौके की

यथास्थिति के आदेश दिये गये हैं जिन्हें दोनों पक्ष स्वीकार करते हैं। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा यह तर्क दिया गया कि परिस्थितियां बदलने पर नया प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है साथ ही उन्होंने यह भी कथन किया कि पूर्व के प्रार्थना पत्र में जो तथ्य उठाये गये हैं उसका निस्तारण नहीं हुआ है। यदि उनके इस कथन को मान भी लिया जावे तो फिर उन्होंने पूर्व प्रार्थना पत्र में रेकार्ड व मौके की यथास्थिति पर अपनी सहमति क्यों दी, क्योंकि सहमति के साथ ही पत्रावली का निस्तारण कर दिया गया था फिर उन्हीं तथ्यों को आधार मानकर रिसीवरी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना कतई उचित नहीं माना जा सकता। इसके अलावा यदि परिस्थितियां बदलती तो प्रार्थी द्वारा समय–समय पर इसकी जानकारी न्यायालय को उपलब्ध करानी चाहिए थी। मौके एवं रेकार्ड की यथास्थिति ताफैसला मूलवाद आज भी कायम है प्रार्थी द्वारा जो नजीरें प्रस्तुत की गयी हैं वह इस मामले में लागू नहीं होती, क्योंकि दोनों पक्ष मौके व रेकार्ड की यथास्थिति कायम रखने हेतु पाबन्द हैं यदि कोई पक्ष इसकी अवहेलना करता है तो दूसरा पक्ष न्यायालय के आदेश न्यायालय के आदेश की अवहेलना का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकता है रिसीवरी इसका विकल्प नहीं है। जहां तक किसी भूमि को रिसीवरी में लिये जाने का प्रश्न है, यह कार्यवाही किसी विशेष परिस्थितियों में ही की जाना न्यायोचित होता है। उन्हीं तथ्यों व उन्हीं आधारों तथा उन्हीं कॉज ऑफ एक्शन के आधार पर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर पुनः विचार किये जाने का हम कोई औचित्य नहीं समझते हैं। विपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र से हम पूर्णतया सहमत हैं।''

अधिनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 20–08–2007 से रूष्ट होकर प्रार्थी/अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 01–09–2007 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 5/2, 9, 10, 11 व 15 ओर से भी वकील श्री पन्नालाल मारू उपस्थित हुए। शेष रेस्पोन्डेन्टगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को ही पुनः दोहराया तथा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को त्रुटि पूर्ण बताते हुए

अपास्त करने की प्रार्थना की। वहीं वकील रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

वकील अपीलान्ट ने प्रमुख उजर यह लिया कि अधिनस्थ न्यायालय ने बिना सोचे समझे निर्णय पारित किया है। अधिनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट/प्रार्थी का धारा 212 के आवेदन के जवाब में यह कथन रहा है कि प्रकरण में दौरान दावा परिस्थितियां बदल गयी हैं। विपक्षीगण विवादित भूमि पर जबरन कब्जा करने को उतारू हैं, जिससे प्रार्थी का उक्त भूमि पर कब्जा रखना मुश्किल हो गया है ऐसी स्थिति में रिसीवर नियुक्त किया जावे, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने इस पर कोई गौर नहीं किया तथा विपक्षीगण के आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के आवेदन को स्वीकार कर लिया, जो त्रुटि पूर्ण है। धारा 212 के तथ्य एवं रिसीवरी के आवेदन के तथ्य पृथक हैं, क्योंकि परिस्थितियां बदल गयी हैं, लेकिन इस पर अधिनस्थ न्यायालय ने कोई ध्यान नहीं दिया है। अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय कानूनी प्रावधानों के विपरीत है, क्योंकि दोनों प्रार्थना पत्रों की विषय वस्तु अलग–अलग हैं। अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटि पूर्ण है।

→ हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया गया तथा अपीलान्ट द्वारा लिये गये उजरात व बहस पर मनन किया गया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय का आधार यह लिया कि आवेदक द्वारा पूर्व में पेश शुदा अस्थाई निषेधाज्ञा के आवेदन में मौके व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये गये हैं यदि कोई पक्ष इसकी अवहेलना करता है तो दूसरा पक्ष न्यायालय के आदेश न्यायालय के आदेश की अवहेलना का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकता है रिसीवरी इसका विकल्प नहीं है। उक्त आधार पर अपीलान्ट/प्रार्थी का आवेदन खारिज कर दिया है, जो विधि सम्मत नहीं है, क्योंकि प्रार्थी द्वारा पूर्व में पेश शुदा आवेदन के बाद परिस्थितियां बदल गयी हैं तथा न्यायालय आदेशों की अवहेलना किये जाने पर रिसीवर नियुक्ति का पश्चातवर्ती आवेदन प्रस्तुत किये जाने में किसी प्रकार की अविधिकता नहीं है तथा न्यायालय आदेशों की अवहेलना का प्रकरण एक पृथक प्रोसिडिंग है, परन्तु यदि किसी प्रकरण में परिस्थितियां बदल गयी हो तथा अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेशों का उलंघन होता है तो सम्पत्ति पर रिसीवर नियुक्त करने का

आधार है अथवा नहीं, इस पर गुणावगुण पर निर्णय किया जाना वांछनीय होता है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के तहत उक्त आवेदन में क्या अविधिकता है, यह स्पष्ट नहीं किया है, जबकि उक्त प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय किया जाना वांछनीय था। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय प्रथम दृष्टया तथ्यात्मक एवं विधिक रूप से त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतएवं अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 20–08–2007 अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में रिसीवर नियुक्ति के आवेदन में जवाब प्राप्त करें तथा उक्त प्रकरण का विधि के प्रावधानों के आलोक में गुणावगुण पर उभयपक्षों को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर देकर एवं सुनकर निर्णय पारित करें।

पक्षकारान अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 12–04–2018 को उपस्थित रहें।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 12–02–2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर